दिनांक 05.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 09/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना गगहा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 05.01.2026 को थाना गगहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रदुम्मन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गगहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदुम्मन निवासी परसिया थाना गोला जनपद गोरखपुर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 04.01.2026 को थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रतापपुर रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कमल उर्फ संजय उर्फ राकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद एटा, फिरोजाबाद व हाथरस के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कमल उर्फ संजय उर्फ राकेश निवासी मंगली रिजौर जनपद एटा हालपता—ओ0 ब्लाक गीता एन्कलेव उत्तमनगर थाना बिन्दापुर, दिल्ली।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कमलापुर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **90 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 18 बैट्री सेल**
- **05 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.01.2026 को थाना कमलापुर, थाना रामकोट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे पर गोन नदी के पास से 06 अभियुक्तों 1—नरेन्द्र उर्फ नंदा 2—हिमान्शु उर्फ कान्हा 3—अभिषेक उर्फ राका 4—श्याम नारायण 5—चाँद 6—हिमान्शु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 90 हजार रूपये नगद, लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 18 बैट्री सेल, 05 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ नंदा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई, बाराबंकी व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कमलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेन्द्र उर्फ नंदा निवासी ग्राम दीक्षितपुरवा मंगुपुर, थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

2—हिमान्शु उर्फ कान्हा निवासी पतारा कलां थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

3—अभिषेक उर्फ राका निवासी पावर हाउस गली कस्बा व थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

4—श्याम नारायण निवासी पावर हाउस गली, कस्बा व थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

5—चाँद निवासी ग्राम बाड़ी, थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

6—हिमान्शु निवासी पंचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—90 हजार रूपये नगद।

2—लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 18 बैट्री सेल।

3—05 मोबाइल फोन।

4—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

5—घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—01

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन**
- **चोरी की भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि बरामद**

दिनॉकः 05.01.2026 को थाना फेस—01 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—14ए के पास से 04 अभियुक्तों 1— शादाब उर्फ रूतबा 2— अरमान उर्फ सुट्टा

3–उलमान 4–विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन, चोरी की भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उर्फ रूतबा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त अरमान उर्फ सट्टा के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त उलमान व अभियुक्त विजय के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 08–08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–01 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शादाब उर्फ रूतबा निवासी डी ब्लाक गली नं0–5 सौरभ बिहार जैतपुर थाना जैतपुर दिल्ली।

2–अरमान उर्फ सुट्टा निवासी सौरभ बिहार जैतपुर बदरपुर थाना जैतपुर दिल्ली।

3–उलमान निवासी सौरभ बिहार जैतपुर बदरपुर थाना जैतपुर दिल्ली।

4–विजय निवासी ऊंचा गांव थाना आदर्श नगर जनपद बल्लभगढ़, हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन।

2–चोरी की भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 04.01.2026 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफ– ब्लाक सेक्टर 22 के पास से 02 अभियुक्तों 1–दीपक 2–सतेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त सतेन्द्र के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व आगरा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी ग्राम कच्छेला शालीमपुर थाना सहावर जनपद कासगंज, हालपता प्रकाश नगर थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–सतेन्द्र निवासी ग्राम व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता भाटी चौक थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना बिसरख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मवीर को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना सुखपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना सुखपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजीत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————